(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~केम्प संभाग सागर~~

छक्कीलाल तनय सुन्ती बसोर,

निबासी– ग्राम सरकनपुर उगड़, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़

.....आवेदक

वनाम

बाबूलाल तनय सुन्ती बसोर,

निबासी– ग्राम सरकनपुर उगड़, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय संभाग सागर प्र0 क0 763 अ/6/2006–07 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30/09/2008 से परिबेदित होकर कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं अनावेदक आपस में सगे भाई हैं। दोंनों एक ही मॉ की संतान हैं। अनावेदक के नाम से ग्राम सरकनपुर उगड़ में खसरा नंबर 348 में 1.335 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। दोंनों भाई साथ साथ रहते थे। संयुक्त कृषिकार्य करते थे। जिसके चलते अनावेदक द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से नामांतरण पंजी कमांक 08 दिनांक 05/03/85 के माध्यम से उपरोक्त भूमि में से आधी यानि कि 1/2 भूमि, आवेदक के नाम से कर दी गई। जिस पंजी में दोंनों पक्षों की सहमति के हस्ताक्षर भी है। उपरोक्त पंजी राजस्व निरीक्षक दिनांक 05/03/85 को स्वीकृत की गई। जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा करीब 22 साल उपरांत वर्ष 2007 में एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो उनक द्वारा स्वीकार प्र0 क0 78 /अपील/2005–06 पर बिधि एवं प्रकिया के

(27

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4150 / I / 2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **छककीलाल वनाम बाबूलाल**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 763 / अ–6 / 06–07 में पारित आदेश दिनांक 30 / 09 / 2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं सुसंगत दस्तावेजो की प्रतियां प्रस्तुत की गईं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क प्रस्तुत किये गये, तर्कों से संतुष्ट होकर पूर्व में निगरानी सुनवाई हेतु मान्य करते हुए अनावेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र जारी किये गये, किन्तु अनावेदक अनुपस्थित रहा। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि, आवेदक एवं अनावेदक आपस में सगे भाई हैं। दोंनों एक ही मॉ की संतान हैं। अनावेदक के नाम से ग्राम सरकनपुर उगड़ में खसरा नंबर 348 में 1.335 हैक्टेयर भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। दोंनों भाई साथ साथ रहते थे। संयुक्त कृषिकार्य करते थे। जिसके उपरांत पारिबारिक बंटवारे में अनावेदक द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से नामांतरण पंजी कमांक 08 दिनांक 05 / 03 / 85 के माध्यम से उपरोक्त भूमि में से 1 / 2 भूमि, आवेदक के नाम से कर दी थी। जिस पंजी में दोंनों पक्षों की सहमति के हस्ताक्षर भी हैं। उपरोक्त पंजी पर दिनांक 05 / 03 / 85 को नामांतरण / बंटवारा स्वीकृत किया गया था। जिससे परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा करीब 22 साल उपरांत वर्ष 2007 में एक अपील अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो स्वीकार कर प्रकरण कमांक 78 / अपील / 2005–06 पर बिधि एवं प्रकिया के बिपरीत जाकर दिनांक 14 / 06 / 2007 को आदेश पारित करके स्वीकार करके 22 साल पुराना नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया। जिससे परिबेदित होकर एक अपील न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दिनांक 30 / 09 / 08 को अपील निरस्त कर दी	

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक– 4150 /I/2016

गई। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया, प्रकरण की वादग्रस्त भूमि नामांतरण पंजी कमांक 08 दिनांक 05/03/1985 के आधार पर उभयपक्षों/दोनों भाईयों के नाम से पूर्ण सहमति के आधार पर नाम दर्ज किये गये थे। वादग्रस्त पंजी पर दोनों पक्षों के सहमति हस्ताक्षर हैं। जिसके आधार पर नामांतरण स्वीकृत करके नाम दर्ज किये गये हैं। आवेदक द्वारा वादभूमि की लगान की रसीदें भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें शामिल नाम से लगान अदा किया गया है। बर्तमान में भी वादभूमि पर उभयपक्षों के नाम दर्ज हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 22 वर्ष उपरांत अपील स्वीकार करके प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14/06/2007 पारित करते हुए नामांतरण निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा भी ग्राहयता के बिन्दु पर ही तर्क श्रवण करके अपील निराकृत की गई है। उभयपक्षों के बीच आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया था। जिसकी प्रारंभ से ही जानकारी अनावेदक को रही है। माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टांतो में व्यवस्था प्रदान की है कि, सहमति के आधार पर पारित आदेश अपील योग्य नहीं होते है। इस प्रकरण में भी सहमति के आधार पर नामांतरण किया गया था, जो अपील योग्य नहीं था । यदि अनावेदक उपरोक्त नामांतरण से परिबेदित था तो उसे सिविल न्यायालय से अपने स्वत्व का निराकरण कराना चाहिये था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत तरीके से इतना पुराना नामांतरण निरस्त किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ द्वारा प्रकरण कमांक 78/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 14/06/2007 एवं उसके आधार पर पारित सभी पश्चातबर्ती आदेश निरस्त किये जाते हैं। नामांतरण पंजी कमांक 08 दिनांक 05/03/1985 में पारित आदेश बहाल किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य